

Court of ACJM-I, Biraal

Biraal P.S.- 324/2020

G.R.- 767/2020

12.01.2021

प्रस्तुत कांड में अनुसंधानकर्ता ने आरोप-पत्र एवं वाद दैनिकी भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 427, 504/34 के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 1. विजय चौधरी 2. विशाल चौधरी 3. रिकू देवी, जिनका नाम आरोप-पत्र की कंडिका 11(i) में अंकित है, के विरुद्ध समर्पित किया गया है। जबकि अभियुक्त 1. विपुल चौधरी, को अनुत्प्रेषित दिखाया गया, जिसे स्वीकार किया जाता है।

प्राथमिकी, आरोप-पत्र, वाद-दैनिकी सहित अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वाद दैनिकी के अवलोकनोपरांत प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त 1. विजय चौधरी 2. विशाल चौधरी 3. रिकू देवी, के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 427, 504/34 के अंतर्गत अपराध का प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ पाया जाता है।

तदनुसार प्राथमिकी अभियुक्त 1. विजय चौधरी 2. विशाल चौधरी 3. रिकू देवी, के विरुद्ध **भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 427, 504/34** के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।

वाद को विधिवत विचारण एवं निष्पादन हेतु निजी संचिका में रखा जाता है।

कार्यालय अभियुक्त की उपस्थिति हेतु समन निर्गत करें।

दिनांक 28.01.2021 वास्ते उपस्थिति।

(लेखापित)

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी - I